न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर

पीठासीन अधिकारी :– ज्योति पटेल, आर.जे.एस

फौजदारी मूल प्रकरण सं.(CIS No.) :– 1129/2014

अभियोगी :

राजस्थान राज्य।

बनाम

अभियुक्त :

01. रामसिंह उर्फ हरिकिशन पुत्र पन्नेसिंह, निवासी दुर्गावास थाना जवाजा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (हाल जिला ब्यावर)।

अपराध अन्तर्गत धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह गहलोत विद्वान अधिवक्ता– वास्ते अभियुक्त।
2. विद्वान् अभियोजन अधिकारी, – वास्ते राज्य।

क्र.सं.	स्तर	दिनाँक
1.	प्रसंज्ञान	06.01.2009
2.	प्री–चार्ज साक्ष्य समाप्त	23.03.2026
3.	आरोप विरचन	27.04.2026
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त	13.05.2026
5.	बयान मुलजिम	13.05.2026
6.	बहस अंतिम	20.05.2026
7.	निर्णय	20.05.2026

निर्णय दिनाँक : 20..05.2026

01. इस प्रकरण का उद्भव खाद्य निरीक्षक श्री रतनसिंह देवड़ा द्वारा अभियुक्त रामसिंह उर्फ हरिकिशन के विरूद्व परिवाद अंतर्गत धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करने पर हुआ।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य निरीक्षक रतनसिंह देवड़ा द्वारा इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया कि राज्य की

अधिसूचना दिनांक 26.2.1982 के द्वारा उसे खाद्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है एवं अधिसूचना दिनांक 10.4.1986 के द्वारा कार्यक्षेत्र दिया गया है, जिसके अनुसार बिराटिंया कंला उसके कार्य क्षेत्र में है। श्रीमान् निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 134 दिनांक 12.5.2000 के द्वारा श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के कार्यालय में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 17.05.2008 समय. 7.55 ए.एम. बहैसियत खाद्य निरीक्षक के बिराटिंया कला पर मोटरसाईकिल पर दूध बेचने वाला मालिक श्री रामसिंह उर्फ हरिकिशन पुत्र श्री पन्नेसिंह जाति गुर्जर निवासी दूर्गावास थाना जवाजा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर को इन्हें अपना खाद्य निरीक्षक होने का परिचय देकर खाद्य पदार्थ बेचने का लाईसेन्स मांगा जो उसके पास नहीं मिला उसकी मोटर साईकिल पर ड्रम में 50–50 किलो खाद्य पदार्थ मिक्स दूध था जो आम जनता को बेचने के लिये था व बेचने के लिये जा रहा था। उक्त खाद्य पदार्थ के निरीक्षक करने पर उसे मिलावट का संदेह होने पर इनकी रसायनिक जांच हेतु खरीदने हेतु आस–पास के स्वतंत्र मौतविरान तलाश किये मौके पर श्री नाथूसिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, निवासी मेसिया जिला पाली एंव उसके अपने साथ गये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी श्री बन्शीलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली को बतौर गवाह रखा। उसने रूबरू मौतबीरान के फार्म नं0 6 पर मुलजिम व मौतविरान के हस्ताक्षर करवाये तथा उसने भी हस्ताक्षर किये जो खाद्य पदार्थ मिक्स दूध जो एक ड्रम में 50 किलो था को हिलाकर एक रूप कर उनके साथ रखे 500 ग्राम नाप से 1500 ग्राम तीन खाली, साफ व सूखी शिशियों में बराबर खरीदा जिसके मूल्य की रसीद रूपये 15/– रूपये देकर प्राप्त की, जिस पर मुलजिम व मौतबिरान के हस्ताक्षर किये व उसने भी हस्ताक्षर किये जो संलग्न है। प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मलीन की 36–36 बून्दें डाली गई। प्रत्येक शीशी पर कार्क लगाकर एयर टाईट किया गया। प्रत्येक शीशी पर लेबल लगाया गया, लेबल पर मुलजिम व मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये व उसने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक शीशी को अलग–अलग ब्राउन पेपर में लपेटकर गोंद से दोनों मुंह व उपर व नीचे चिपकाया गया। एल.एच.ए. पाली से प्राप्त हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप नं० आर 2266 ऊपर से नीचे तक तीनों शिशियों पर अलग–अलग चिपकाई गई। प्रत्येक शीशी को मोटे धागे से चारो ओर बांधकर उन पर सिल चपड़ी से लगाई गई, प्रत्येक शीशी पर चार सील चपडी लगाई गई जिसमें एक ऊपर एक नीचे व दो मध्य भाग के दोनों साईड में लगाई गई। प्रत्येक शीशी पर मुलजिम व मोतविरान के हस्ताक्षर करवाये व मैंने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर मौका

फर्द बनाई गई व पढ़कर सुनाई गई, जिस पर मुलजिम व मोतविरान के हस्ताक्षर करवाये व उसने भी हस्ताक्षर किये जो संलग्न है। उसने बताया कि मैं तीनों नमूने भागों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 7 तैयार किये गये। प्रत्येक फार्म पर जिस सील से नमूना सील किया गया था. उस सील का सील इम्प्रेशन लगाया गया। प्रत्येक नमूना भाग के साथ एक–एक फार्म नं0 7 रखकर आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से चारों तरफ बांधकर पुनः सील चपड़ी से सील किया गया। फार्म नं० 7 की दो प्रति अलग से एक खाली लिफाफे में रखकर सीलबन्द किया गया, जिस पर सार्वजनिक विश्लेषक जोधपुर का पूर्ण पता लिखा गया। नमूने का एक सिल्ड भाग व सिल्ड लिफाफा सार्वजनिक विश्लेषक जोधपुर के यहां जांच कराने हेतु श्री बन्शीलाल व्यास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालाय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी के साथ भिजवाया गया। दोनों को अलग–अलग जमा कराया गया। नमूने के शेष बचे दो भागों को एक पैकेट में सीलबन्द कर एलएचए, पाली के यहां स्वयं जमा कराये व रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। सार्वजनिक विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 199 दिनांक 22.05.2008 जो एल.एच.ए. पाली के द्वारा प्राप्त हुई के अनुसार मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर मिलावटी पाया गया। इसके बाद समस्त मूल पत्रावली श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के यहां अभियोजन स्वीकृक्ति हेतु भेजी गई। लिखित में अभियोजन स्वीकृति मिलने पर मोटर साइकिल पर दूध बेचने वाला मालिक श्री रामसिहं उर्फ हरिकिशन पुत्र श्री पन्नेसिंह जाति गुर्जर निवासी दूर्गावास थाना जवाजा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर पत्रावली प्री–चार्ज साक्ष्य हेतु नियत की गई।

04. **प्री–चार्ज साक्ष्य में अभियोजन की ओर से गवाहान** पी.डब्ल्यू. 01 नाथुसिंह, पी.डब्ल्यू. 02 रतनसिंह, पी.डब्ल्यू. 03 बंशीलाल व्यास, पी.डब्ल्यू. 04 डॉ. रमेश कुमार के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05. **अभियोजन पक्ष की ओर से प्री–चार्ज दस्तावेज़ी साक्ष्य** में प्रदर्श पी 01 दूध सेंपल दस्तावेज, प्रदर्श पी 02 नमूने के मूल्य की रसीद, प्रदर्श पी 03 फर्द मौका तस्दीक, प्रदर्श पी. 04 दिनांक 26.02.1982 के गजट नोटिफिकेशन द्वारा नियुक्त खाद्य निरीक्षक नियुक्ति आदेश, प्रदर्श पी 05 गजट नोटिफिकेशन पाली जिला क्षेत्राधिकार का आदेश, प्रदर्श पी 06 निदेशालय चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान का स्थानांतरण आदेश, प्रदर्श पी. 07 नमूने की रसीद व सिल्ड लिफाफे की रसीद मुर्तिब,

प्रदर्श पी. 08 सील्ड लिफाफे की रसीद, प्रदर्श पी. 09 पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री जोधपुर की लेब रिपोर्ट, प्रदर्श पी 10 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का स्वीकृति आदेश, प्रदर्श 11 इस्तगासा, , प्रदर्श पी 12 13(2) की कार्यवाही को प्रदर्शित करवाया।

06. प्री–चार्ज साक्ष्य के पश्चात बहस चार्ज उभय पक्ष सुनी गयी एवं अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप को सुन व समझकर अपराध व आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

07. दौराने अभियोजन साक्ष्य अभियोजन अधिकारी द्वारा प्री–चार्ज साक्ष्य के समय लेखबद्ध साक्ष्य को यथावत रखने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता अभियुक्त ने पूर्व लेखबद्ध जिरह को ही यथावत रखने का निवेदन किया। जिस पर निवेदन स्वीकार कर प्री–चार्ज साक्ष्य के समय लेखबद्ध साक्ष्य व जिरह को साक्ष्य अभियोजन प्रक्रम पर यथावत रखा गया। साक्ष्य अभियोजन उपुर्यक्तानुसार समाप्त की गई।

08. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने गवाहों द्वारा किये गये बयानों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किये हैं कि गवाह झूठ बोलते हैं उसें झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

09. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किए कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा मिलावटी दूध विक्रय करना संदेह से परे साबित है। अभियोजन साक्षियों ने अखण्डनीय साक्ष्य दी है जिससे आरोपित अपराध की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

10. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किए कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य में गंभीर प्रकृति का विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में बरामद हुई विषयवस्तु व प्रदर्शित दस्तावेजों को संदेह से परे साबित नहीं किया है। अभियुक्त को रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

11. हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या :–

01. ''क्या अभियुक्त रामसिंह उर्फ हरिकिशन ने दिनांक 07.05.2008 को समय लगभग प्रातः 07.55 बजे ग्राम बिराटिया कलां जिला पाली (हाल ब्यावर) में विक्रय हेतु दूध लेकर घूमते हुए खाद्य निरीक्षक द्वारा पाए जाने पर उक्त दूध का नमूना उनके द्वारा विधिनुसार लेने पर उक्त नमूना सार्वजनिक विश्लेषक जोधपुर को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 22.05.2008 के अनुसार उक्त दूध मानक के अनुरूप नहीं पाया गया तथा मिलावटी घोषित किया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा मानव उपभोग हेतु मिलावटी खाद्य पदार्थ (दूध) का विक्रय/विक्रय हेतु भंडारण कर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 की धारा 07/16 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?

02. यदि हाँ तो अभियुक्त किस दण्ड/आदेश का दायी होगा?

12. उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो **अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 नाथु सिंह** अभियोजन का स्वतंत्र पंच साक्षी है जिस पर नमूना संग्रहण की निष्पक्षता एवं अभियुक्त की पहचान का संपूर्ण भार था। मुख्य परीक्षण में यद्य पि साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया परंतु जिरह में उसने ऐसी स्वीकृतियां की जो अभियोजन के लिए घातक सिद्ध हुई। सर्वप्रथम गवाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को उसने दिनांक 17.05.2008 को नहीं देखा था। यह स्वीकृति अभियुक्त की पहचान के मूल तत्व को ही समाप्त कर देती है जब स्वतंत्र साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को घटनास्थल पर देखे जाने से इंकार कर दे तो शिनाख्त अप्रमाणित रह जाती है। इसके साथ गवाह ने स्वीकार किया कि 50 लीटर शेष दूध एवं संग्रहण पात्र (टंकी) जब्त नहीं किए गए जो विक्रय के तत्वों को संदिग्ध बनाता है। नमूना संग्रहण की विधिसम्मत प्रक्रिया पर भी आघात हुआ। गवाह ने माना कि उसके सामने सील जब्ती हेतु कोई आग नहीं जलाई, शीशियों को सैंपल भरने से पूर्व सूंघा या चैक नहीं किया। अतः शीशियों की पूर्व पवित्रता संदिग्ध है। सबसे गंभीर स्वीकृति यह रही कि प्रदर्श पी. 02 (क्रय रसीद) पर उसके हस्ताक्षर मौके पर नहीं बल्कि बाद में चिकित्सालय पर लिए गए जो मौका फर्द एवं रसीद की प्रमाणिकता को सीधा खंडित करता है। इस प्रकार उक्त गवाह अभियोजन कथानक को समर्थन देने के बजाय उसका खंडन कर रहा है। पहचान, विक्रय, विधिसम्मत सीलिंग एवं मौके पर हस्ताक्षर चारों

आवश्यक तत्व इस गवाह की साक्ष्य से अप्रमाणित रहे है एवं अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न करते हैं।

गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रतन सिंह देवड़ा स्वयं परिवादी है तथा अभियोजन कथानक का संवाहक है। मुख्य परीक्षण में साक्षी ने अपनी नियुक्ति, क्षेत्राधिकार, नमूना संग्रहण की प्रक्रिया एवं समस्त दस्तावेजों की औपचारिक पुष्टि की परंतु जिरह में उसके द्वारा अनेक ऐसी स्वीकृतियां की गई जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाती है। गवाह ने जिरह में नियम 17 के उल्लंघन से संबंधित स्वीकृति की जिसमें उसने माना कि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाए कि नमूने का एक भाग अभियुक्त को सुपुर्द किया गया तथा उसने यह भी कथित किया कि ''ऐसा कोई प्रावधान नहीं है'' यह विधि के पूर्णतः विरुद्ध है। नियम 17 के अंतर्गत नमूने का एक भाग विक्रेता को सुपुर्द किया जाना अनिवार्य प्रावधान है। जिसके अभाव में अभियुक्त का धारा 13(2) के अंतर्गत पुनः जांच कराने का बहुमूल्य अधिकार छीन जाता है। इसी क्रम में हिरासत की श्रृंखला (Chain Of Custody) पर भी गहरा आघात हुआ है। परिवादी ने स्वीकार किया कि पाली से बिराटियां कलां आने जाने की प्रविष्टियां आवक–जावक रजिस्टर में नहीं है, सरकारी जीप की लोगबुक पत्रावली में नहीं है अर्थात् यात्रा को कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवादी/साक्षी द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 01 में आर/65 बाद में पाली जाकर दर्ज किया जबकि आर/22/67 मौके पर दर्ज किया गया। यह विरोधाभास पिछले दिनांकित प्रविष्टि (Back Dating) का स्पष्ट संकेत है। अपमिश्रण के तत्व की पुष्टि पर भी परिवादी ने ऐसी स्वीकृति की जो अभियोजन के लिए घातक है। उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि गाय के दूध में वसा 1.5 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तथा भैंस के दूध में 04 प्रतिशत से 12–13 प्रतिशत तक हो सकती है और कम वसा वाली गाय के दूध तथा अधिक वसा वाली दूध के भैंस को मिलाने पर 3.5–4 प्रतिशत वसा आना प्राकृतिक रूप से संभव है। प्रयोगशाला रिपोर्ट में वसा 3.7 प्रतिशत पाई गई थी एवं प्रदर्शों में स्पष्ट अंकन है कि यह '' मिक्स दूध'' था, किसी विशिष्ट पशु का नहीं। ऐसी स्थिति में 3.7 प्रतिशत वसा को अपमिश्रण का प्रमाण मानना तर्कसंगत नहीं रहता है। यह प्राकृतिक मिश्रण भी हो सकता है। इस प्रकार परिवादी अपनी ही प्रक्रिया के मूलभूत दोष नियम 17 का उल्लंघन, चैन ऑफ कस्टडी की दरारे, Back Dating के संकेत तथा अपमिश्रण की वैकल्पिक तकनीकी व्याख्या के दशाओं का स्वीकार कर रहा है। जो कि अभियोजन कथानक पर गंभीर संशय उत्पन्न करता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 03 बंशीलाल व्यास हिरसत की श्रृंखला (Chain Of Custody) का महत्वपूर्ण साक्षी है जिसको यह सिद्ध करना है कि सीलबंद नमूना पाली से जोधपुर सुरक्षित अवस्था में पहुंचा। मुख्य परीक्षण में उसने कथन किये कि रतन सिंह देवड़ा ने उसे सीलबंद नमूना दिया व जोधपुर जाकर जमा करा आया तथा रसीद ले आया परंतु जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि जिस लिफाफे को वह जोधपुर ले गया उस पर लगी सील के हस्ताक्षर किसके थे यह उसे ज्ञात नहीं। उसने यह भी स्वीकार किया कि लिफाफे में बोतलें थी या नहीं इसका भी उसे ज्ञान नहीं है। जब वाहक को सुपुर्द की गई वस्तु की पहचान न हो तो हस्तांतरण की पवित्रता संदिग्ध हो जाती है। यात्रा के संबंध में गवाह यह तक स्मरण नहीं कर पाया कि वह बस से गया था या किसी अन्य माध्यम से। उसने स्वीकार किया कि जोधपुर जाने हेतु कोई लिखित आदेश उसे नहीं दिया गया था। उसे यह भी पता नहीं कि कार्यालय में आउटवर्ड रजिस्टर है या नहीं, आधिकारिक यात्रा का बिल भी जमा नहीं करवाया गया। गवाह ने प्रदर्श पी. 08 (सीलबंद लिफाफे की रसीद) पर प्राप्ति के लेख में अपने हस्ताक्षर नहीं होना स्वीकार किया जो कि दस्तावेजी रूप में वाहक द्वारा लिफाफा प्राप्त किए जाने की कड़ी को प्रमाणित नहीं करता।

इस प्रकार गवाह की साक्ष्य से नमूने की हिरासत की श्रृंखला (Chain Of Custody) अनेकों स्थानों पर टूटी हुई प्रतीत होती है। लिफाफे की पहचान का अभाव, यात्रा के माध्यम का अज्ञान, लिखित आदेश का अभाव, स्वयं की प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर का अभाव। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं हो सकता कि जो नमूना अभियुक्त से लिया गया वहीं नमूना विश्लेषक तक पहुंचा।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 04 डॉक्टर रमेश माथुर धारा 20 पीएफ एक्ट के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी था। जिसकी स्वीकृति वाले औपचारिक हस्ताक्षर नहीं अपितु विवेक के प्रयोग की न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। मुख्य परीक्षण में उसने औपचारिक रूप से कथन किए कि उसने पत्रावली का अवलोकन किया, संतुष्ट हुआ तथा अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी. 10 जारी की परंतु जिरह में उसकी अपनी स्वीकृतियां इस प्रक्रिया को यांत्रिकी एवं विवेकहीन सिद्ध करती है। उसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि अभियोजन स्वीकृति से पूर्व उसने अभियुक्त को नमूना सुपुर्द किये जाने के संबंध में खाद्य निरीक्षक से कोई पूछताछ नहीं की तथा पत्रावली में नमूना सुपुर्द करने का कोई दस्तावेज नहीं है। यह स्वीकृति पी.डब्ल्यू. 02 की उस स्वीकृति से सीधी संबंधित है और नियम 17 के उल्लंघन की पुष्टि करती है। इसके

पश्चात गवाह द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने स्वतंत्र रूप से कोई जांच नहीं की केवल खाद्य निरीक्षक की प्रस्तुत पत्रावली के आधार पर स्वीकृति दे दी। सबसे गंभीर स्वीकृति यह रही कि उसने खाद्य निरीक्षक का नमूना रजिस्टर देखा ही नहीं, न ही उसे तलब किया तथा सरकारी जीप की लोकबुक की न जांच की न तलब की। जब स्वीकृति प्राधिकारी ने नमूना रजिस्टर एवं लोक बुक देखी ही नहीं तो वह यह कैसे सत्यापित कर सका कि प्रदर्श पी. 01 में अंकित विवरण सहीं है, यात्रा वास्तव में हुई? इसके अतिरिक्त गवाह ने स्वीकार किया कि उसके अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी. 10 में यह अंकन भी नहीं कि अभियुक्त दूध बेच रहा था। यदि स्वीकृति आदेश में प्रार्थी का मूल तत्व अंकित नहीं है तो ऐसी स्वीकृति का कोई विधिक आधार नहीं रहता। तकनीकी प्रकाश में भी इस गवाह की स्वीकृति महत्वपूर्ण रही। स्वयं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होते हुए वह खाद्य के दूध की वसा का प्रतिशत नहीं बता सका तथा यह भी स्वीकार किया कि उसे यह ज्ञात नहीं कि सरकार किसान, पशुपालक को विक्रय हेतु लाइसेंस जारी करती है या नहीं। इस प्रकार स्वीकृति प्राधिकारी की अपनी स्वीकृतियों से यह साबित होता है कि उसके द्वारा न तो नमूना रजिस्टर देखा गया न लोक बुक, न खाद्य निरीक्षक से पूछताछ हुई, न स्वतंत्र जांच की गई केवल प्रस्तुत पत्रावली पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति दे दी गई जो कि यांत्रिकी स्वीकृति है जो विधिक रूप से अनुरक्षणीय नहीं है एवं अभियोजन कथानक पर गंभीर संशय उत्पन्न करती है।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं है। स्वतंत्र मौका गवाह ने अभियुक्त की पहचान से इंकार कर दिया एवं मौके पर सीलिंग प्रक्रिया का खंडन किया। परिवादी ने स्वयं नियम 17 के उल्लंघन के चैन ऑफ कस्टडी की कमजोरियों, दस्तावेजों में Back Dating के संकेत तथा अपमिश्रण की वैकल्पिक प्राकृतिक व्याख्या को स्वीकार किया तथा नमूना वाहक की गवाही से हिरासत की कड़ी ही प्रमाणित नहीं हो सकी है। अभियोजन स्वीकृति प्राधिकारी की अपनी स्वीकृतियों से स्वीकृति प्रक्रिया का यांत्रिकी एवं विवेकहीन होना साबित है। इन सबके उपर धारा 13 (2) की सूचना का परिवाद प्रस्तुति के बाद दिनांक 13.01.2009 को पुनः भेजा जाना अभियुक्त के जांच के बहुमूल्य अधिकार का सीधा हनन है। इन सभी त्रुटियों के कारण अभियुक्त संदेह का लाभ पान का अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त रामसिंह उर्फ हरिकिशन के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्त को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

13. अतः अभियुक्त रामसिंह उर्फ हरिकिशन पुत्र पन्नेसिंह, निवासी दुर्गावास थाना जवाजा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (हाल जिला ब्यावर) को अपराध अन्तर्गत धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की पूर्व नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

14. अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/– रुपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय के पेश करें कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर

13. निर्णय आज दिनाँक **20.05.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन, सुनाया गया।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर